संख्या–1091/xxviii–5–2009–08(सी.एम.)/2003

प्रेषक,

सुनीलश्री पाण्डेय
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग– 5 देहरादूनः दिनांकः 05 नवम्बर, 2009

वित्तीय वर्ष 2009–10 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, काण्डा जनपद बागेश्वर के भवनों के पुनरीक्षित लागत की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–7प/1/सी0एच0सी0/51/2003/34616 दिनांक 07 सितम्बर, 2009 तथा शासनादेश संख्या–119/xxviii–5–2009–08(सी.एम.)/2003 दिनांकः 21–02–2004, जिसके द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, काण्डा जनपद बागेश्वर के भवनों के निर्माण हेतु रू0 81.37 लाख की लागत पर प्रशासनिक/वित्तीय अनुमोदन प्रदान किया गया है, के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि श्री राज्यपाल महोदय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, काण्डा जनपद बागेश्वर के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण करने हेतु पुनरीक्षित आगणन की आंकलित लागत रू0 2,06,43,000.00 (रूपये दो करोड छः लाख तैंतालीस हजार मात्र) के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009–10 में औचित्यपूर्ण पुनरीक्षित लागत रू0 1,77,77,000.00 (रूपये एक करोड सतहत्तर लाख सतहत्तर हजार मात्र) पर प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए रू0 50,00,000.00 (रुपये पचास लाख मात्र) के व्यय की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– वर्णित कार्य उक्त स्वीकृत पुनरीक्षित लागत में ही पूर्ण किया जायेगा एवं तदनुसार लागत का पुनरीक्षण नहीं कराया जायेगा । इस हेतु सघन अनुश्रवण किया जाए तथा शेष धनराशि ससमय निर्माण इकाई को उपलब्ध करायी जाए, इस हेतु निर्माण इकाई से समयबद्ध समय सारणी पर कटिबद्धता ले ली जाए ।

3– धनराशि आहरित कर क्षेत्रीय प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0 उत्तराखण्ड को उपलब्ध करायी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा। कार्य में प्रगति की निरंतर समीक्षा करते हुए उक्त को समयबद्ध ढंग से इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी दशा में पुनः आगणन पुनरीक्षण नही किया जायेगा ।

4– आगणन में उल्लिखित दरें केवल आगणन गठित के लिये ही अनुमन्य है। कार्य कराने से पूर्व दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को तथा जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

5– कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य प्रारम्भ न किया जाये।

6– कार्य पर उतना ही व्यय किया जायेगा जितना कि स्वीकृत मानक है। स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

7– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम पाधिकारी से स्वीकृत प्राप्त करना आवश्यक होगा।

8– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

.....2

9– कार्य करने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्चधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य कर लें।निरीक्षण के पश्चात आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाये।

10– उक्त कार्य के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0–475/xxvii(7)/2008 दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

11– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से परीक्षण करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए।

12– जी0पी0डब्लू0 फार्म 9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

13– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या–2047/xiv–219 (2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य करते समय अथवा आगणन गठित करते समय कडाई से पालन करने का कष्ट करें।

14– सामग्री क्रय व निर्माण कार्य हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा निर्माण एजेन्सी के साथ वित्त विभाग के आदेशानुसार निर्धारित प्रपत्र पर एम0ओ0यू0 हस्ताक्षर कर लिया जायेगा।

15– उक्त व्यय वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक में अनुदान सं0–12 लेखाशीर्षक 4210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 02–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें –आयोजनागत,104– सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 03–सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना, 0302–सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण (विस्तार अंश) 24–वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जोयगा।

16– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–409(P)/वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग–3/2009 दिनांक 30.09.09में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव,

संख्या–1091/xxviii–5–2009–08(सी.एम.)/2003 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1 महालेखाकार, उत्तराखण्ड, गाजरा देहरादून।
2 निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3 आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल उत्तराखण्ड।
4 स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
5– जिलाधिकारी, बागेश्वर।
6– वित्त नियंत्रक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
7– मुख्य चिकित्साधिकारी, बागेश्वर।
8– मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/बागेश्वर।
9– अपर सचिव, मा0 मुख्यमंत्री।
10– क्षेत्रीय प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0 उत्तराखण्ड।
11 वरिष्ठ राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
12 वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
13 गार्डफाईल।

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव

शासनादेश सं0–1091**xxviii**–5–2009–08(सी.एम.)/2003 दिनॉक: 05 नवम्बर, 2009 का संलग्नक

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	निर्माण इकाई	मूल लागत	अब तक अवमुक्त कुल धनराशि	पुनरीक्षित लागत	वर्ष 2008–09 में स्वीकृत की जा रही धनराशि
1	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, काण्डा जनपद बागेश्वर के भवनों का निर्माण	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0	81.37	81.37	177.77	50.00
		योग–	81.37	81.37	177.77	50.00

(रू0 पचास लाख मात्र)

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव,